Letter Written by Maha Mantri to Pramukh Sachiv

उत्तर प्रदेश खाद्य निरीक्षक संवर्ग संघ

(उ० प्र० शासन के पत्रांक – 3656/16—10—90/118/88 दिनांक 11—09—90 द्वारा मान्यता प्राप्त)

नन्द लाल
महामंत्री
Mob:-9415843372

अमित प्रकाश वर्मा
अध्यक्ष
कार्यालय :
B₂ M/36 Sector B
Jankipuram Lucknow
Mob :- 9935832878

पत्रांक : संघ-15/2009

दिनांक : 19/03/2009

सेवा में

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः खाद्य निरीक्षकों की तैनाती समान कार्यभार के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि खाद्य निरीक्षकों की तैनाती वर्तमान में ब्लाक स्तर पर की जाती है एवं एफ0डी0ए0 में भी इसी स्तर पर तैनाती का प्रावधान है, तैनाती का यह आधार उस समय से है जब ब्लाक स्तर पर सफाई निरीक्षक तैनात होते थे तथा खाद्य अपमिश्रण का कार्य अपने कार्य क्षेत्रान्तर्गत अतिरिक्त कार्य के रूप में करते थे। वर्ष 1983 में सफाई निरीक्षक का पद ब्लाक स्तर पर विलोपित कर खाद्य निरीक्षकों में परिवर्तित कर दिया गया एवं वे पूर्णकालिक खाद्य निरीक्षक के रूप में खाद्य अपमिश्रण निवारण का कार्य करने लगे! परन्तु उनकी तैनाती इस दशा मे भी ब्लाक स्तर पर ही रही!

वस्तुतः प्रदेश में वर्तमान समय में कई ब्लाक ऐसे है जहां पर खाद्य प्रतिष्ठानों की संख्या अत्यन्त न्यून है (ब्लाक स्तर पर प्रतिष्ठानों की संख्या सम्बन्धी विवरण संलग्न है) एवं ऐसे ब्लाकों पर तैनात खाद्य निरीक्षकों को अपना लक्ष्य 60 नमूना प्रतिवर्ष संग्रहित करना भी दुष्कर होता है। जबकि खाद्य निरीक्षक सम्पूर्ण जनपद में निरीक्षण/नमूना संग्रह कार्य हेतु अधिसूचित है। ऐसी दशा में जहां एक

ओर विभाग ऐसे खाद्य निरीक्षकों की सम्पूर्ण सेवा प्राप्त नहीं कर पा रहा है वहीं दूसरी ओर ऐसे खाद्य निरीक्षकों को वार्षिक लक्ष्य पूर्ति सम्बन्धी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है।

अतः संघ का विनम्र अनुरोध है कि खाद्य निरीक्षकों की तैनाती समान कार्यभार वाले कार्यक्षेत्रों (सर्किल) में करने की कृपा करें जैसा कि सर्किल आधार पर तैनाती की व्यवस्था आन्ध्र प्रदेश एफ0डी0ए0 में लागू है एवं इस बिन्दु पर सम्मानीय प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, श्री शैलेश कृष्ण जी द्वारा 26.05.2008 की बैठक में भी सहमति प्रदान की गयी है। (संलग्नक कार्यवृत्ति का बिन्दु-6)

भवदीय

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(नन्द लाल)
महामंत्री

उत्तर प्रदेश खाद्य निरीक्षक संवर्ग संघ

(उ० प्र० शासन के पत्रांक – 3656/16–10–90/118/88 दिनांक 11–09–90 द्वारा मान्यता प्राप्त)

नन्द लाल
महामंत्री
Mob:-9415843372

अमित प्रकाश वर्मा
अध्यक्ष
कार्यालय :
B_2 M/36 Sector B
Jankipuram Lucknow
Mob :- 9935832878

पत्रांक [illegible] 3/2009 दिनॉक [illegible]

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग –8

विषय :– खाद्य एवं औषधि प्रशासन में स्वीकृत पदों पर प्रोन्नति हेतु डी0पी0सी0 कराने कें सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है प्रदेश में नकली एवं मिथ्या छाप खाद्य एवं औषधियों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन का गठन किया गया है। जिसके अन्तर्गत खाद्य निरीक्षकों से मुख्य खाद्य निरीक्षक , सहायक आयुक्त खाद्य, उपायुक्त खाद्य पर प्रोन्नति होनी है। मुख्य खाद्य निरीक्षकों के पद अधिकाशं जनपदो में रिक्त हैं, जिसके कारण खाद्य अपमिश्रण कार्यक्रम प्रभावी ढंग से सम्पादित नहीं हो पा रहा है। अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि मुख्य खाद्य निरीक्षक सहित अन्य सृजित पदों पर प्रोन्नति हेतु शीघ्रातिशीघ्र डी0पी0सी0 कराने की कृपा करें।

भवदीय

(नन्दलाल)
महामंत्री

उत्तर प्रदेश खाद्य निरीक्षक संवर्ग संघ

(उ० प्र० शासन के पत्रांक - 3656/16-10-90/118/88 दिनांक 11-09-90 द्वारा मान्यता प्राप्त)

अमित प्रकाश वर्मा
अध्यक्ष

नन्द लाल
महामंत्री
Mob:-9415843372

कार्यालय :
B_2 M/36 Sector B
Jankipuram Lucknow
Mob :- 9935832878

पत्रांक - पत्रांक - सप्र - 22/2009

दिनॉक - दिनांक 19/05/2009

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग -8

विषय -: खाद्य निरीक्षकों का पदनाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी घोषित किये जाने कें सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि प्रदेश में खाद्य एवं औषधी प्रशासन निदेशालय स्थापित हो चुका है जिसका गठन भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य निरीक्षक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदनाम दिया गया है। अतः महोदय से निवेदन है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अर्न्तगत के खाद्य निरीक्षकों का पदनाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी घोषित कराने की कृपा करें ।

भवदीय

(नन्दलाल)

महामंत्री

उत्तर प्रदेश खाद्य निरीक्षक संवर्ग संघ

(उ० प्र० शासन के पत्रांक – 3656/16–10–90/118/88 दिनांक 11–09–90 द्वारा मान्यता प्राप्त)

अमित प्रकाश वर्मा
अध्यक्ष
कार्यालय :
B_2 M/36 Sector B
Jankipuram Lucknow
Mob :- 9935832878

नन्द लाल
महामंत्री
Mob:-9415843372

पत्रांक सेवा-21/2009 दिनॉक 19/05/2009

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन , लखनऊ।

विषयः – खाद्य निरीक्षकों को राजपत्रित घोषित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के साथ हुयी वार्ता दिनांक 26–05–2008 के द्वारा खाद्य निरीक्षको को राजपत्रित घोषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि प्रशासकीय विभाग 1970 के शासनादेश के अनुसार प्रस्ताव उपलब्ध करायें । महोदय उपरोक्त शासनादेश के विन्दुवार विवरण निम्नलिखित हैं जिनको खाद्य निरीक्षक पूर्ण करता हैं।

शासनादेश के बिन्दु–सम्बन्धित विवरण

1– खाद्य निरीक्षक का पद गम्भीर उत्तरदायित्व का है क्योंकि PFA एक्ट के नियम '9' में उल्लिखित कर्तव्य से एवं Section-10 PFA एक्ट में विहित शक्तियॉ वर्ग–2 के पद /सेवा के समान गम्भीर है।

(a)- Power to seize—PFA act के अनुसार किसी परिसर को उपजिलाधिकारी या खाद्य निरीक्षक ही seize कर सकता है।

(b) PFA act के नियम 13(2) (E) के अन्तर्गत जॉच रिपोर्ट से सन्तुष्ट न होने पर खाद्य निरीक्षक की रिपोर्ट पर पुनः जॉच का प्रावधान है। पुनः जॉच खाद्य निरीक्षक अथवा जन विश्लेषक ही करा सकता है।जन विश्लेषक वर्ग–1 का अधिकारी होता है।

(c) कोर्ट में पैरवी हेतु PFA Cases के लिये अधिकृत प्राधिकारी खाद्य निरीक्षक ही है ।

(d) Section -14 के अन्तर्गत हुये अपराधों के लिये बिना वाद स्वीकृति के सीधे वाद दायर करने हेतु अधिकृत प्राधिकारी खाद्य निरीक्षक ही है बिना स्वीकृति वाद दायर करने की शक्ति एक PCS अधिकारी की शक्ति है।

2–हॉ–खाद्य निरीक्षक को अपने कर्तव्यों के पालन में प्रमुख एवं विशिष्ट व्यक्तियों –स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी (Super Class-1 Officer) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से वाद की पैरवी के सम्बन्ध में सीधे सम्पर्क करना पडता है।

3–हॅा– मुख्य खाद्य निरीक्षक के टूर पर जाने पर, जो राजपत्रित अधिकारी है, का कार्यभार एवं दायित्व खाद्य निरीक्षक को संभालना पड़ता है।

4– वर्तमान FDA में खाद्य निरीक्षक से आगामी पदोन्नति अधिक मात्रा में उच्च और वरिष्ठ प्रशासनिक राजपत्रित पदों पर होनी है।

5 नहीं खाद्य निरीक्षक द्वारा आसीन पद को राजपत्रित कर देने से राजपत्रित प्रतिष्ठा की मर्यादा का अनावश्यक एवं अनुचित ह्रास नहीं होगा।

6– अधिकारी /खाद्य निरीक्षक का कार्य क्षेत्र पूर्ण जनपद है।सम्बंधित शासनादेश संलग्न है।

7–खाद्य निरीक्षक के अधीन सेनटरी सुपरवाइजर (FDA में FOOD ASSISTANT) की उपस्थिति खाद्य निरीक्षक द्वारा दी जाती है।

इस प्रकार खाद्य निरीक्षकों द्वारा राजपत्रित घोषित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 23/1/70–नियुक्ति (ख), दिनाक 5 अगस्त 1970 के 8 में से 7 शर्तो को पूरा किया जाता है।

उपरोक्त तथ्यों के साथ-साथ खाद्य निरीक्षक अन्य शर्ते भी पूरी करते हैं।

अन्य सम्बन्धित तथ्य–

1– खाद्य निरीक्षकों की Food Sampling एवं अन्य शक्तियो का गजट नोटीफिकेशन होता है एवं मा0 राज्यपाल महोदयं ने खाद्य निरीक्षकों को विशेष सेवा का मानते हुये विशेष प्रशिक्षण हेतु योग्य माना है। शासनादेश संलग्न है।

2– खाद्य निरीक्षक की योग्यता PFA act के अनुसार निम्नवत है।

A Graduate in-

1- Medical Science (M.B.B.S., B.A.M.S.) – Class-2 योग्यता।

2- Chemistry etc.

3- मुख्य खाद्य निरीक्षक पूर्व में 5000–8000 के वेतनमान में उपर्युक्त कार्यों को करते हुये कार्यों में अन्तर न होते हुये राजपत्रित थे।

4– औषधि निरीक्षक के कार्य/दायित्व खाद्य निरीक्षक के समान है एवं वे राजपत्रित 5000–8000 वेतन पाने के समय से ही हैं।

5–स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जो ब्लाक स्तर पर तैनात होता है एवं 5000–8000 के वेतनमान में होता है राजपत्रित अधिकारी घोषित है।

अतः महोदय से निवेदन है कि राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान करने सम्बन्धित शासनादेश एवं अन्य सम्बधित तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये खाद्य निरीक्षकों को राजपत्रित घोषित कराने कृपा करें।

भवदीय

संलग्नक:- यथोपरि।

15/05/2009

(नन्दलाल)

महामंत्री